


MUNICIPAL CORPORATION BHILAI (C.G.)


NIT


कार्य का नाम :- जोन-01 नेहरू नगर क्षेत्रांतर्गत स्थापित पावर पंप का संधारण कार्य समग्री सहित। (वर्ष 2023-24)

आयतम दर

S.No.	Description and details of work	Qty.	Unit
1	Repairing of power pump (submersible/Mono block/ Open well pump) Repairing & Rewinding testing etc. Complete Job.		
a	1.0 H.P. - 2 H.P. Power pump	35	Nos.
b	More than 2 H.P. - 5 H.P.	150	Nos.
c	More than 5 H.P.	35	Nos.
2	Maintenance of power Pump.		
a	Lifting of submersible power pump from tube well (up to 5 HP)	150	Nos.
b	Lifting of submersible power pump from tube well (more than 5 HP)	35	Nos.
c	Lowering of submersible power pump from tube well (upto 5 HP)	150	Nos.
d	Lowering of submersible power pump from tube well (more than 5 HP)	35	Nos.
3	Repairing of Penal.	145	Nos.
a	upto 5 H.P.	36	Nos.
b	more than 5 H.P.	40	Nos.
4	Providing Fixxing & supplying G.I. Socket 50mm	40	Nos.
5	Providing Fixxing & supplying G.I. Socket 40mm	40	Nos.
6	Providing Fixxing & supplying G.I. Union 50mm	40	Nos.
7	Providing Fixxing & supplying G.I. Union 40mm	40	Nos.
8	Providing Fixxing & supplying G.I. Nipple 50mm	40	Nos.
9	Providing Fixxing & supplying G.I. Nipple 40mm	40	Nos.
10	Providing Fixxing & supplying G.I. Nipple 80mm	40	Nos.
11	Providing Fixxing & supplying G.I. Nipple 100mm	40	Nos.
12	Providing Fixxing & supplying G.I. Flange 80mm	40	Nos.
13	Providing Fixxing & supplying G.I. Flange 100mm		
14	Supplying, laying and fixing following size submersible cable along with GI/PVC/HDFC pipe line or laid in ground etc as per specification and IS: 694 (2010). Note: Cable should be rust proof, safe from oil / Grease and under water Chemical / abrasion Resistant.		
	3x2.5 sqmm	250	Mtr
	3x4.0 sqmm	250	Mtr
	3x6.0 sqmm	250	Mtr
15	Providing Fixxing & supplying Electrical Cut-outs 63 AMP	40	Nos.
16	Providing Fixxing & supplying Electrical Cut-outs 32 AMP	40	Nos.


Executive Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)


Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)


Sub. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन क्रमांक -01 नेहरू नगर

जोन-01 नेहरू नगर क्षेत्रांतर्गत स्थापित पावर पंप का संधारण कार्य समाग्री सहित। नियम एवं शर्तें


1. जलप्रदाय व्यवस्था हेतु लगाये गये सभी विद्युत उपकरणों का रखरखाव एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से करना होगा एवं इसके एवज में किसी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
2. सभी पावर पंप एवं अन्य स्थापित विद्युत उपकरणों के विद्युत मण्डल से संबंधित देयक का भुगतान निगम के द्वारा किया जावेगा।
3. उक्त कार्य का 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
4. सभी पावर पंपों का रखरखाव एवं संधारण कार्य का लॉगबुक संधारित करना होगा।
5. निगम के अधिकारियों द्वारा जलप्रदाय व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. निदान 1100 में प्राप्त शिकायत का संधारण 24 घंटे के अंदर करना आवश्यक होगा। अन्यथा प्रतिदिन राशि रु. 1000.00 पेनाल्टी देयक से कटौती की जायेगी।
7. पेयजल अत्यावश्यक व्यवस्था है इस परिस्थिति में इसकी निरंतरता बनाये रखने आवश्यक होगा, इसके लिए एजेंसी को समुचित संख्या के अतिरिक्त पावर पंप एवं विद्युत सामग्री स्थापन्न के रूप में रखना होगा, ताकि पंप या अन्य सामग्री खराब होने पर पेयजल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित न हो। नगर निगम भिलाई द्वारा अतिरिक्त पावर पंप (1H.P.-2नग,2H.P.-2नग,3H.P.-2नग,5H.P.-2नग) अनुबंध का अवधि पूर्ण होने पर उक्त पावर पंप सही हालत में हस्तांतरित करना होगा।
8. पम्प अथवा किसी भी प्रकार के विद्युत उपकरण की खराबी होने पर तत्काल सुधार किया जाना आवश्यक होगा एवं शाम तक सुधार होने की स्थिति में इस दिन की जलप्रदाय कम से कम एक बार किया जाना भी अनिवार्य होगा।
9. विद्युत प्रवाहबंद होने की स्थिति को छोड़कर एजेंसी की लापरवाही के कारणों से जल प्रदाय अवरूद्ध होने की स्थिति में देयक से निम्नानुसार कटौती की जावेगी :-
प्रथम त्रुटि (1पाली) पर राशि रु. 5,000/-
द्वितीय त्रुटि (1पाली) पर राशि रु. 10,000/-
तृतीय त्रुटि (1पाली) पर राशि रु. 20,000/-
तृतीय त्रुटि उपरांत आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को एकपक्षीय अनुबंध निरस्त करने का अधिकार रहेगा, इसके लिए अनुबंधित एजेंसी कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
10. पेयजल व्यवस्था अत्यावश्यक सेवा है, इसलिए आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा की इसकी निरंतरता बनाये रखने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निविदा बुलाये बिना भी अन्य एजेंसी/द्वितीय निविदाकार/तृतीय निविदाकार को कार्य संपादन हेतु नियुक्त कर सकेंगे, एवं इस व्यवस्था से जो अतिरिक्त व्यय होगा उसकी वसूली पूर्व अनुबंधित एजेंसी की धरोहर राशि सुरक्षा निधि या अन्य किसी मद में निगम द्वारा पूर्व अनुबंधित एजेंसी के पक्ष में किसी भी मद में देय बकाया राशि हो तो उससे अंतर की राशि वसूली की जा सकेगी, यदि ठेकेदार के पक्ष में उपरोक्त देय राशि कम हो तो बकाया राशि की वसूली छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छ.ग. वर्क्स मैन्युअल के प्रावधानों के तहत बकाया राजस्व वसूली के तहत की जावेगी।
11. किसी भी कारण से जल प्रदाय व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की सूचना निगम के अधिकारियों को तत्काल दिया जाना अनिवार्य होगा।
12. आवश्यकतानुसार पावर पंपों की मात्रा 10 प्रतिशत घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

//2//

13. कार्य समाप्ति पश्चात् सभी पंप हाउस, उच्चस्तरीय टंकी, सम्पवेल एवं पावर पंप एवं अन्य अनुवांशित सामग्री उपकरण को चालू स्थिति में सौंपना होगा।
14. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।
15. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
16. प्रस्तावित कार्य को संपादित करने हेतु निर्धारित समय सीमा प्रदान की जावेगी, समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में शेष कार्य के विरुद्ध अनुबंध के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड के साथ समयवृद्धि प्रदान की जावेगी।
17. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई

सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई


उपअभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई